

**स्पाइसेस बोर्ड**  
**(वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)**  
**'सुगंध भवन'**  
**एन.एच. बाई पास, पालारिवट्टम पी.ओ.**  
**कोचीन - 682025, केरल, भारत**

पीयूबी-पीआरआई./0004/2018- प्रचार

दिनांक: 14.02.2019

**दर संविदा के लिए एजेंसियों को सूचीबद्ध करना-स्पाइसेस बोर्ड, कोचीन, केरल - 682025 द्वारा प्रदत्त डिज़ाइन के अनुसार पुस्तिकाओं, पत्रिकाओं, पैंफ्लेटों , प्रमाणपत्र , कार्यसूची , पत्र-शीर्ष , विजिटिंग कार्ड आदि और अन्य सहायक सामग्री का मुद्रण और आपूर्ति**

स्पाइसेस बोर्ड (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) विश्व में भारतीय मसालों के संवर्धन और प्रचार के लिए प्रमुख संगठन है। बोर्ड, भारतीय निर्यातकों और विदेश में आयातकों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय कड़ी है। बोर्ड भारतीय मसालों की उत्कृष्टता के लिए उद्योग के हर क्षेत्र को शामिल करने के लिए कार्यकलापों की अगुवाई कर रहा है। बोर्ड ने, अपने विकास और प्रचार के तंत्र के लिए गुणवत्ता और स्वच्छता को प्राथमिकता दी है। स्पाइसेस बोर्ड, विगत तीन वर्षों से विभिन्न कार्यालयों का विभिन्न मुद्रण कार्य कर रही और कोचीन में स्थित ऐसी विख्यात मुद्रण फर्मों से पुस्तिकाओं, पत्रिकाओं-पांच विभिन्न भाषाओं-अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम में प्रकाशित स्पाइस इंडिया और तेलुगु में प्रकाशित त्रैमासिक के आवश्यकतानुसार विभिन्न आकारों और स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रदत्त डिज़ाइन में पैंफ्लेटों , प्रमाणपत्र , कार्यसूची, पत्र-शीर्ष , विजिटिंग कार्ड आदि और अन्य सहायक सामग्री के मुद्रण और आपूर्ति के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है। निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुपालन में निर्धारित विस्तृत कार्य विवरण निविदा दस्तावेज में उल्लिखित है।

अभिरुचि की अभिव्यक्ति स्पाइसेस बोर्ड के वेबसाइट [www.indianspices.com](http://www.indianspices.com) पर उपलब्ध है। विधिवत भरी हुई अभिरुचि की अभिव्यक्ति, संगत सहायक दस्तावेजों सहित, सहायक निदेशक (विपणन), प्रचार अनुभाग, स्पाइसेस बोर्ड, 'सुगंध भवन', एन एच बाई पास, पालारिवट्टम पी.ओ., कोचीन - 682025 को **12 मार्च, 2019 को सांय 05.00 बजे तक प्रस्तुत की जाए।** निर्धारित समय और तारीख के बाद प्राप्त अभिरुचि की अभिव्यक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा और सरासर अस्वीकार कर दी जाएगी।

पत्राचार का पता: सहायक निदेशक (विपणन), प्रचार अनुभाग, स्पाइसेस बोर्ड, 'सुगंध भवन', एन एच बाई पास, पालारिवट्टम पी.ओ., कोचीन - 682025.

सहायक निदेशक (विपणन)  
प्रचार अनुभाग, स्पाइसेस बोर्ड

**स्पाइसेस बोर्ड**  
**(वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)**  
**'सुगंध भवन'**  
**एन.एच. बाई पास, पालारिवट्टम पी.ओ.**  
**कोचीन - 682025, केरल, भारत**

**अभिरुचि की अभिव्यक्ति**

**एजेंसियों को दर संविदा के लिए सूचीबद्ध करना-स्पाइसेस बोर्ड, कोचीन, केरल - 682025 द्वारा प्रदत्त डिज़ाइन के अनुसार पुस्तिकाओं, पत्रिकाओं, पैंफ्लेटों, प्रमाणपत्र, कार्यसूची, पत्र-शीर्ष, विजिटिंग कार्ड आदि और अन्य सहायक सामग्री का मुद्रण और आपूर्ति**

**प्रस्तावना**

स्पाइसेस बोर्ड (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) विश्व में भारतीय मसालों के संवर्धन और प्रचार के लिए प्रमुख संगठन है। बोर्ड, भारतीय निर्यातकों और विदेश में आयातकों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय कड़ी है। बोर्ड भारतीय मसालों की उत्कृष्टता के लिए उद्योग के हर क्षेत्र को शामिल करने के लिए कार्यकलापों की अगुवाई कर रहा है। बोर्ड ने, अपने विकास और प्रचार रणनीतियों के लिए गुणवत्ता और स्वच्छता को प्राथमिकता दी है। स्पाइसेस बोर्ड, विगत तीन वर्षों से विभिन्न कार्यालयों का विभिन्न मुद्रण कार्य कर रही और कोचीन में स्थित ऐसी विख्यात मुद्रण फर्मों से पुस्तिकाओं, पत्रिकाओं-पांच विभिन्न भाषाओं-अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम में प्रकाशित स्पाइस इंडिया और तेलुगु में प्रकाशित त्रैमासिक के आवश्यकतानुसार विभिन्न आकारों और स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रदत्त डिज़ाइन में पैंफ्लेटों, प्रमाणपत्र, कार्यसूची, पत्र-शीर्ष, विजिटिंग कार्ड आदि और अन्य सहायक सामग्री के मुद्रण और आपूर्ति के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है। निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुपालन में निर्धारित विस्तृत कार्य विवरण निविदा दस्तावेज में उल्लिखित है।

स्पाइसेस बोर्ड के निदेशानुसार एजेंसी मुद्रण कार्य और अन्य संबद्ध कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी। सूचीबद्ध एजेंसी के पास, यदि आवश्यक हो, तो दस्तावेजों को पैक करने और भेजने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

स्पाइसेस बोर्ड के मुद्रण कार्यों के लिए सूचीबद्ध करने और निष्पादन करने के विस्तृत नियम और शर्तों को अभिरुचि की अभिव्यक्ति में वर्णित है। मर्दों की आपूर्ति का मुद्रण अनुबंध-ख में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुसार होना चाहिए। यदि भविष्य में, कोई अन्य कार्य होता है, जिसका उल्लेख (अनुबंध-ख) में नहीं किया गया है, तो उसके लिए चयनित / सूचीबद्ध एजेंसी से दर प्राप्त की जाएगी और सबसे कम दर को सभी को स्वीकार करना होगा जो अनुबंध अवधि के दौरान मान्य होगी।

स्पाइसेस बोर्ड को प्रक्रिया को संशोधित करने या समाप्त करने, सूचीबद्ध करने के किसी एजेंसी के अनुरोध को स्वीकार करने या अस्वीकार करने, डिजाइन और मुद्रण कार्यों आदि के लिए अनुमोदित सूचीबद्ध एजेंसी में से किसी एजेंसी को रखने या हटाने और किसी भी एजेंसी को बिना कोई कारण बताए, कोई भी कार्य सौंपने का अधिकार होगा।

**1. बोली प्रस्तुत करना**

1.1. क) आवेदन सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए जिसमें स्पष्ट रूप से दिनांक, आवेदक का नाम और पता उल्लिखित हो और उसके ऊपर "स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रदत्त डिज़ाइन में पुस्तिकाओं, पत्रिकाओं, पैंफ्लेटों, प्रमाणपत्र, कार्यसूची, पत्र-शीर्ष, विजिटिंग कार्ड आदि और अन्य सहायक सामग्री के मुद्रण और आपूर्ति के लिए एजेंसी को सूचीबद्ध करने हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति" लिखा हो और इसे सहायक निदेशक (विपणन), प्रचार अनुभाग, स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन, एन.एच. बाई पास, पी. बी. संख्या: 2277, पालारिवट्टम, कोचीन -682 025 के कार्यालय में 12 मार्च, 2019 को या उससे पहले जमा कर दिया जाना चाहिए।

ख) ऐसे दस्तावेज जो सभी प्रकार से पूर्ण नहीं हैं, अस्वीकार कर किए जाएंगे। स्पाइसेस बोर्ड किसी भी डाक या अन्य देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और विलम्ब से प्राप्त बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ग) किसी भी प्रकार की जानकारी / विवरण के लिए, बोलीदाता सहायक निदेशक (विपणन), प्रचार अनुभाग, स्पाइसेस बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं।

1.2. व्यापारिक संबंध रखने वाले एक बोलीदाता द्वारा एक से अधिक बोली प्रस्तुत नहीं की जाएगी।

1.3. इच्छुक निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी शुद्धिपत्र / जुड़ाव / संशोधन के लिए निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से कम से कम 3 दिन पहले मसाला बोर्ड की वेबसाइट और सीपीपीपी वेबसाइट देखें। निविदा गैर-हस्तांतरणीय है।

2. **फर्म का पंजीकरण:** बोलीदाता के पास वैध पैन, सेवा-कर, जीएसटी नंबर, टिन / वैट पंजीकरण होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह सभी वैधानिक कर दायित्वों की पूर्ति करता है और सरकार को कर की कोई चोरी / हानि नहीं होगी। (समर्थन में सबूत संलग्न करें)।

3. दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति, मालिक / निदेशक / प्रबंध निदेशक के अलावा, किसी एजेंसी / फर्म / डीलर की ओर से रूचि अभिव्यक्ति जमा करने के लिए अधिकृत व्यक्ति होना चाहिए।

4. विवरण स्पष्ट रूप से उल्लिखित करते हुए मूल्य, कर और संबद्ध शुल्क, यदि कोई हो, में उद्धृत किया जाना चाहिए। भारतीय रुपए में आंकड़े (संख्यात्मक के साथ-साथ शब्दों में भी उल्लेख किए जाएं)।

5. यदि कर, सीमा शुल्क, यदि कोई हो, तो उत्पाद शुल्क / वैट आदि के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया जाता है, तो उद्धृत मूल्य में सभी लागू वैधानिक करों को सम्मिलित माना जाएगा और इसके बाद किसी भी परिस्थिति में कोई विचार नहीं किया जाएगा।

6. अभिरुचि की अभिव्यक्ति, 01 मार्च, 2019 को पूर्वाह्न 11:00 बजे खोली जाएगी। इच्छुक बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि भी बोली प्रक्रिया में भाग लेंगे। बोलीदाता के किसी भी प्रतिनिधि को बोली खोलने के स्थल पर उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसके पास बोलीदाता फर्म का प्राधिकार-पत्र न हो।

## 7. मूल्यांकन मानदंड :

7.1. अभिरुचि की अभिव्यक्ति में वर्णित अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए बोलीदाता के पास आवश्यक अनुभव, संसाधन और क्षमताएं होनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए गठित समिति आवेदनों का मूल्यांकन करेगी। ऐसी अभिरुचि की अभिव्यक्ति खोली जाएगी जो निम्नलिखित पात्रता मानदंड / योग्यता अपेक्षाओं को पूर्णतः पूरा करती हैं:

क) बोलीदाता फर्म / एजेंसी, अभिरुचि की अभिव्यक्ति की तारीख को एक भारतीय और भारतीय मूल की होनी चाहिए, जिसका न्यूनतम तीन साल का अस्तित्व हो।

ख) बोलीदाता को अपने नाम में पिछले 3 वर्षों के दौरान समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव होना चाहिए।

ग) विगत वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाला पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19) के दौरान औसत वित्तीय कारोबार, रु। 50,00,000.00 (रुपये पचास लाख और अधिक) होना चाहिए

घ) बोलीदाता के पास जीएसटी का वैध पंजीकरण होना चाहिए।

ङ) अभिरुचि की अभिव्यक्ति के साथ रुपये 1,00,000 / - (केवल एक लाख रुपये) की बयाना जमा राशि एरणाकुलम में देय "सचिव, स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची" के पक्ष में प्रस्तुत की जानी है। निविदाकार को निविदा दस्तावेज के साथ जमा किए गए डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम और पता लिखना चाहिए।

च) बोलीदाता को इस आशय का वचन-पत्र देना होगा कि उनकी फर्म / एजेंसी को किसी केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिबंधित / ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है। / पिछले 5 वर्षों की अवधि के दौरान मंत्रालयों और विभागों (उनके लेटरहेड में हस्ताक्षर करके और मुहर लगाकर उसकी प्रति हो सकती है) में उनकी फर्म के खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं है।

छ) केवल कोचीन, केरल में तैनात बोलीदाता आवेदन करने के पात्र हैं। बोलीदाता यह स्थापित करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि बोलीदाता उपर्युक्त के अनुसार योग्यता अपेक्षाओं की पूर्ति करता है।

7.2. निविदाकार की पात्रता मुद्रण की गुणवत्ता, स्पष्ट दरों के आधार पर होगी। बोलीदाता के हस्ताक्षर, दिनांक और मुहर के बिना कोई त्रुटि, ओवरराइटिंग / सुधार स्वीकार्य नहीं होगी।

7.3. प्राधिकारी सभी बोलियों को अस्वीकार कर सकता है यदि वे इसलिए अनुत्तरदायी या अनुपयुक्त पाई जाती हैं, क्योंकि वे वांछित अनुपालन नहीं करती हैं अथवा उनकी लागत अधिक है।

7.4. यदि दो या तीन बोलीदाता बोली का बराबर मूल्य उद्धृत करते हैं अथवा अधिकतम वैयक्तिक मदों के लिए कम दरों का उद्धरण करते हैं तो विक्रेताओं द्वारा उद्धृत अधिकतम वस्तुओं की सबसे कम दरों वाली स्वीकृति रिपोर्ट तैयार की जाएगी और जो इस प्रयोजन के लिए चुने गए विक्रेताओं / एजेंसियों को स्वीकार्य होगी। हालांकि, स्पाइसेस बोर्ड संगठन का निर्णय अंतिम और बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।

7.5. अभिरुचि की अभिव्यक्ति की वैधता, निविदा खोलने की तिथि के बाद न्यूनतम 120 दिनों की अवधि के लिए स्वीकार्य होगी।

## 8. सामान्य निबंधन और शर्तें

8.1. सभी दरों और राशि को किसी भी कटिंग / ओवर-राइटिंग के बिना आंकड़े और शब्दों में लिखा जाएगा और केवल भारतीय रुपये में इंगित किया जाएगा।

8.2. उद्धृत दरों में, स्पष्ट रूप से सभी सेवा शुल्क और कर अलग से लागू होने चाहिए। यदि यह जानकारी उद्धृत दरों में इंगित नहीं की गई है, तो यह माना जाएगा कि उद्धृत दरों में जीएसटी शामिल है। मूल्य अनुसूची में लागू जीएसटी शुल्क अलग से दिखाए जाने चाहिए।

8.3. बयाना जमा राशि के बिना प्राप्त अभिरुचि की अभिव्यक्ति को स्पाइसेस बोर्ड द्वारा गैर-प्रतिक्रियात्मक के रूप में अस्वीकार कर दिया जाएगा। बोलीदाता, बयाना जमा राशि के पीछे की तरफ कंपनी / एजेंसी / फर्म का नाम लिखेगा।

8.4. सफल बोलीदाता द्वारा सूचीबद्ध होने की स्वीकृति देने के बाद, असफल बोलीदाता की बयाना जमा राशि को वापस कर दिया जाएगा।

8.5. बोली प्रपत्र में बोलीदाता द्वारा निर्दिष्ट बोली वैधता की अवधि के दौरान बोलीदाता यदि अपनी बोली वापस ले लेता है/ सफल बोलीदाता की स्थिति में, यदि बोलीदाता संविदा-पत्र/ स्वीकृत दरों को स्वीकार नहीं करता है तो बयाना जमा राशि को जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा बयाना जमा राशि पर कोई ब्याज या कोई अन्य लागत देय नहीं होगी।

8.6. सफल बोलीदाता को रुपए 50,000 / - की निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करनी होगी, जिसे संविदा के सफल समापन के बाद वापस किया जाएगा। सुरक्षा जमा राशि पर स्पाइसेस बोर्ड द्वारा कोई ब्याज या कोई अन्य लागत देय नहीं होगी।

8.7. बयाना जमा राशि/बोली सुरक्षा राशि, बोलीदाता के आचरण के जोखिम से मालिक की सुरक्षा के लिए होती है जिसे जब्त किया जा सकता है।

8.8. प्रस्तुत की जा रही बोली के सभी पृष्ठ बोलीदाता द्वारा इस निविदा के सभी नियमों और शर्तों की स्वीकृति के रूप में हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

8.9. स्पाइसेस बोर्ड को एक या एक से अधिक पार्टियों को दर संविदा देने का अधिकार है, हालांकि, संविदा को किसी और को देना अनुमत नहीं है। यदि ऐसा कोई मामला स्पाइसेस बोर्ड के नोटिस में आता है, तो संविदा रद्द कर दी जाएगी और बयाना जमा राशि/ निष्पादन सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

8.10. बोली को जमा करने की समय सीमा और बोली वैधता की अवधि समाप्त होने के बीच के अंतराल में कोई बोली वापस नहीं ली जा सकती है। अंतराल के दौरान एक बोली को वापस लेने से बोलीदाता की बयाना जमा राशि जब्त हो जाएगी।

8.11. स्पाइसेस बोर्ड, किसी भी समय, सेवाओं को संतोषजनक नहीं पाए जाने पर या बिना कोई कारण बताए, संविदा को वापस / समाप्त कर सकता है।

8.12. संविदा के संबंध में या उससे बाहर होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद को संभव सीमा तक पार्टियों के बीच सुलझाया जा सकता है। इस निविदा से उत्पन्न विवाद के सभी मामलों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, स्पाइसेस बोर्ड का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। यदि स्पाइसेस बोर्ड और असंबद्ध एजेंसी / फर्म के बीच कार्यों के निष्पादन पर कार्य के चलते हुए अथवा कार्य पूरा होने के बाद अथवा संविदा की समाप्ति, परित्याग या उल्लंघन होने पर यदि किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद या मतभेद होता है, तो सर्वप्रथम उसे अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा जो उसका निपटान करेगा जो किसी भी पक्ष द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर एजेंसी / फर्म को निर्णय सूचित करेगा।

8.13 पंचाट: एजेंसी और स्पाइसेस बोर्ड के बीच संविदा के संबंध में या उससे उत्पन्न किसी भी विवाद के मामले में, जो किसी भी कारण से हल नहीं किया जा सकता है, उस विवाद को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ के लिए भेजा जाएगा। ऐसे मध्यस्थ का निर्णय दोनों पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता भारतीय पंचाट अधिनियम 1940 और उसके बाद के संशोधनों के प्रावधानों द्वारा शासित होगा। इस संविदा के तहत सभी कानूनी विवादों का अधिकारक्षेत्र होगा कोचीन के न्यायालय होंगे।

8.14 मुद्रक/ आपूर्तिकर्ता / प्रकाशकों को उनके द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता का अनुमान लगाने के लिए संगठन के कुछ चयनित मुद्रित मामले संलग्न करने चाहिए।

8.15 आपूर्ति की गई मदों की अस्वीकृति की स्थिति में, संविदाकार को ऐसी अस्वीकृत मद के विवरण के साथ-साथ अस्वीकृति के कारणों को भी सूचित किया जाएगा और वे मदें संविदाकार की जोखिम और लागत पर स्पाइसेस बोर्ड के परिसर में पड़ी रहेगी। ।

## 9. अप्रत्याशित घटना की स्थिति

9.1. अनुबंध के तहत उनके द्वारा अपेक्षित किसी भी दायित्व को निभाने के लिए अप्रत्याशित घटना की स्थिति में किसी भी पार्टी को असमर्थ होने की स्थिति में, इस प्रकार की अप्रत्याशित घटना से प्रभावित पार्टी के संबंधित दायित्व को उस अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा जिसके दौरान ऐसा होता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि एजेंसी की लापरवाही के कारण अप्रत्याशित घटना होती है, तो इस खंड के प्रावधान एजेंसी पर लागू नहीं होंगे।

9.2. ऐसे कारण से घटना के बाद और उसके समापन पर, पार्टी यह आरोप लगाती है कि इसे पूर्वोक्त रूप से असमर्थ बताया गया है, कथित रूप से शुरू होने और समाप्त होने के 07 (सात) दिनों के भीतर अन्य पार्टी को सूचित करेगा और पूर्ण विवरण और संतोषजनक प्रमाण देगा। । यदि सुपुर्दगी को एक सप्ताह से अधिक समय तक चलने वाली घटना की शर्तों द्वारा निलंबित कर दिया जाता है, तो स्पाइसेस बोर्ड के पास अपने हिस्से पर किसी भी दायित्व के बिना पूरे या आंशिक रूप से इस अनुबंध को रद्द करने का विकल्प होगा।

## 10. लागू नियम और क्षेत्राधिकार

इस कार्य से जुड़े सभी शासित और प्रक्रियात्मक मामले लागू समय तक भारतीय विधि से शासित होंगे और कोचीन में भारतीय न्यायालयों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

## 11. कार्य क्षेत्र : -

(i) वस्तुओं की आपूर्ति का मुद्रण बिलकुल उसी प्रकार होनी चाहिए, जिस प्रकार की विशिष्टताओं का उल्लेख अनुबंध ख में किया गया है। यदि भविष्य में कोई अन्य कार्य होता है, जिसका उल्लेख अभिरुचि की अभिव्यक्ति के अनुलग्नक-ख में नहीं किया गया है, तो चयनित / पैनलबद्ध एजेंसी से उसके लिए दर प्राप्त की जा सकती है और सबसे कम प्राप्त दरों को सभी के लिए स्वीकार किया जाएगा और संविदा-दरें संविदा अवधि के दौरान मान्य होंगी।

(ii) प्रत्येक वस्तु का नमूना/प्रूफ मुद्रित करने से पहले स्पाइसेस बोर्ड / को दिखाना और मुद्रण से पहले स्पाइसेस बोर्ड की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

(iii) आकस्मिक मामलों में, आपूर्तिकर्ता / प्रिंटर कम समय में भी मुद्रित सामग्री प्रदान करने की आवश्यक व्यवस्था करेंगे और कार्य समयावधि, छुट्टियों, रविवार आदि में भी प्रेस खोलेगा। मुद्रित वस्तुओं को प्रचार अनुभाग, तृतीय तल, स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन, एन एच बाई पास, पी बी नंबर 2277, पालारिवट्टम पी.ओ. कोचीन, केरल -682025 या किसी भी स्थान पर स्पाइसेस बोर्ड से प्राप्त निर्देश के अनुसार सुपुर्द किया जाएगा।

## 12. भुगतान की शर्तें और निबंधन

आरटीजीएस भुगतान के लिए जीएसटी नंबर, टिन नंबर, और बैंक के विवरण जैसे चालू / बचत खाता नंबर, आईएफएससी कोड, शाखा और बैंक के नाम सहित दो प्रतियों में बिल जमा करने पर भुगतान किया जाएगा। सभी भुगतान आरटीजीएस द्वारा ही किए जाएंगे। किसी भी स्थिति में कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। टीडीएस और अन्य कर, यदि लागू हो, एजेंसी के बिलों से काटे जाएंगे।

बोलीदाता का विवरण / जाँच-सूची

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1	बोलीदाता कंपनी / फर्म / एजेंसी का नाम	
2	पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता	
	टेलीफोन नंबर	
	फैक्स नंबर	
	ईमेल पता	
	संपर्क व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर	
3	पैन (एक प्रति संलग्न करें)	
4	जीएसटी संख्या/ प्रमाणपत्र (एक प्रति संलग्न करें)	
5	एजेंसी लाइसेंस संख्या /पंजीकरण संख्या	
6	समान व्यवसाय में वर्षों की संख्या	
7	कंपनी का बैंक विवरण	
	(क) लाभार्थी का नाम	
	(ख) बैंक का नाम	
	(ग) शाखा और पता	
	(घ) बैंक खाते का प्रकार	
	(ङ) खाता संख्या	
	(च) एमआईसीआर कोड	
8	<b>बयाना जमा का विवरण</b>	
	(क) चेक/ डीडी संख्या	
	(ख) राशि (रुपयों में)	
	(ग) दिनांक	
	(घ) बैंक का नाम	

**9. वार्षिक कारोबार**

वार्षिक कारोबार (रु. / लाख)	2016-17	2017-18	2018-19

(सहायक दस्तावेज संलग्न किए जाएं)

10	क्या फर्म / एजेंसी के निदेशक / स्वामी / मालिक / सहयोगी का स्पाइसेस बोर्ड के किसी भी कर्मचारी / स्पाइसेस बोर्ड के किसी भी निदेशक के साथ कोई संबंध है या नहीं, यदि हां, तो विवरण प्रदान किया जाना है।	
11	<b>नमूने</b> (i) एजेंसी द्वारा सरकारी संगठनों में किए गए कार्य की गुणवत्ता का अनुमान लगाने के लिए कुछ चयनित मुद्रित सामग्रियों की प्रतियां संलग्न करें  (ii) कवर और अंदर के पन्नों के लिए कागजात (बोलीदाता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सील किए जाए)	
12	इस आशय का वचन-पत्र कि पिछले 5 वर्षों की अवधि के दौरान केंद्रीय सरकार के किसी मंत्रालय और विभाग ने फर्म / एजेंसी को प्रतिबंधित / ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है  (वचन-पत्र को लेटरहेड पर हस्ताक्षर करके और मुहर लगाकर दिया जाए)	

**ANNEXURE-B  
(Part-I)**

Financial Bid for “ Expression of Interest(Eoi) for Empanelment of agency for rate contract-printing and supply of booklets, magazines, pamphlets, certificates, agenda, letter heads, visiting cards etc. and allied other materials as per the design provided by the Spices Board”

Printing Specifications/Description	Printable Paper Sizes (Rates per page inRupees)			
	A5 5.83"x8.27"	A3" 11.69"x 16.53"	A4 8.27"x 11.69"	Std Book Size 5"x8"
Cover Page 300 GSM Art Sheet				
Cover Page 250 GSM Art Sheet				
Text Page 130 GSM paper				
Text Page 100 GSM Paper				
Cover Page in Matte Finish				
Cover Page in Glossy Finish				
Title cover both side printing 300 GSM Card paper				
Cover page 300 GSM with UV				
Cover Page Lamination				
Add : Taxes, as applicable				

Note : Applicable Taxes should be indicated separately and the above rate quotes should be without inclusive of any tax.







Cover page 300 GSM with UV												
Perfect Binding (Staple)												
Packing charges												
Add : GST, as applicable												

Add : Applicable Taxes to be indicated separately and the above rate quotes should be without inclusive of any tax.

<b>ANNEXURE-B (Part-IV)</b>						
<b>Printing Specifications/ Description</b>	<b>Rates for 01- 100 units</b>	<b>Rates for 101- 200 units</b>	<b>Rates for 201- 500 units</b>	<b>Rates for 01- 100 units</b>	<b>Rates for 101- 200 units</b>	<b>Rates for 201- 500 units</b>
	Letter Size Paper			A-4 Size Paper		
Letter Heads (Multi colour) Paper: built executive bond paper Printing: Screen/offset printing with Spices Board & GoI logo (embossing)						
Letter Heads (Multi colour) Paper: 105 GSM super sunshine paper Printing: Screen/offset printing with Spices Board & GoI logo (embossing)						

Letter Heads (Multi colour) Paper: 105 GSM super sunshine paper Printing: Digital printing with Spices Board & Gol logo (embossing)						
Add : Taxes, as applicable						

Add : Applicable Taxes to be indicated separately and the above rate quotes should be without inclusive of any tax.

### ANNEXURE-B (Part-V)

#### Visiting Cards

Sl. No.	Description of items with specification	Quantity	Rate per box (in Rs.)
1.	Colours: Four colours (Simple) Printing: Screen Printing with GOI logo embossing one side and Spices Board logo Bilingual (English & Hindi) back to back Paper: Texture paper Size: 8.75 cmt. X 5.5 cmt.	1 Box (1 Box containing 100 cards)	
2.	Colours: Four colours Printing: Digital Bilingual (English & Hindi) back to back Paper: Sunshine white paper Size: 8.75 cmt. X 5.5 cmt.	1 Box (1 Box containing 100 cards)	
<b>Add : Taxes, as applicable</b>			

Add : Applicable Taxes to be indicated separately and the above rate quotes should be without inclusive of any tax.

SIGNATURE OF BIDDER WITH SEAL AND DATE

\* \* \* \* \*